



## प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 10.08.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

### **01-शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार थाना नागफनी-**

अवगत कराना है कि दिनांक 08.08.2024 को वादिनी निवासी थाना नागफनी क्षेत्रान्तर्गत ने (दिनांक घटना 03.04.2024) अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नागफनी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना नागफनी पर मु0अ0सं0-199/2024 धारा-323/504/506/376 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 10.08.2024 को उ0नि0 श्री अंकुर मलिक थाना नागफनी द्वारा मय हमराही पुलिस बल अभियुक्त अभिषेक सैनी पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी रफातपुरा मण्डी रोड निकट शिव मंदिर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा हाल निवासी बंगला गांव थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

अभिषेक सैनी पुत्र महेन्द्र सैनी निवासी रफातपुरा मण्डी रोड निकट शिव मंदिर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा हाल निवासी बंगला गांव थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद

### **गिरफ्तार करने वाली टीम-**

- 1-उ0नि0 अंकुर मलिक
- 2-का0 भानू प्रताप
- 3-का0 आकाश कुमार थाना नागफनी, मुरादाबाद।

**2-थाना मूढापाण्डे क्षेत्रान्तर्गत मारपीट व जान से मारने की नियत से फायर करने वाले दो अभियुक्त को थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध माऊजर व खोखा कारतूस के बरामद किया गया।**

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादी जमील पुत्र झुन्डा निवासी बरवाला खास थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद की लिखित तहरीर आधार पर थाना मूढापाण्डे पर मु0अ0सं0 374/24 धारा 115(2)/352/351(2) भारतीय न्याय संहिता 2023

बनाम 1-गुड्डू पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम नियामतपुर इकरोटिया थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद 2-दानिश 3-बन्टी पुत्रगण जफर डीलर निवासीगण नामालूम के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही में उपरोक्त अभियोग में धारा 109 बीएनएस की बढोत्तरी की गई। उक्त क्रम में आज दिनांक 10.08.2024 को थाना मूढापाण्डे पुलिस द्वारा अभियुक्त 1-दानिश पुत्र नन्हे अली ग्राम नियामतपुर



इकरोटिया थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद 2-गुड्डू पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम नियामतपुर इकरोटिया थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को अभियुक्त दानिश द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये अवैध माऊजर मय एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

- 1-दानिश पुत्र नन्हे अली ग्राम नियामतपुर इकरोटिया थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
- 2-गुड्डू पुत्र अहमद हसन निवासी ग्राम नियामतपुर इकरोटिया थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद

**आपराधिक इतिहास-** मु0अ0सं0 374/24 धारा 115 (2)/352/351(2)/109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट

### **गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-**

- 1-व0उ0नि0 मदनपाल सिंह थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।
- 2-रि०उ0नि0 रोबिन शर्मा थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद
- 3-का0 राजा तोमर थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

### 03- एक वारंटी गिरफ्तार थाना भोजपुर-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 09.08.2024 को उ0नि0 अजय दुबे थाना भोजपुर द्वारा NBW/वारंटी फर्डम पुत्र नसीम निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद सम्बन्धित धारा 414 भादवि को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त-

फर्डम पुत्र नसीम निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद

#### गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 अजय दुबे व कां0 परमजीत थाना भोजपुर मय हमराही पुलिस



### 4-थाना भोजपुर पुलिस द्वारा, शान्ति भंग करने के 01 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.08.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अजमत पुत्र नजरुद्दीन निवासी ग्राम गनेशपुर देवी थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

#### अभियुक्त-

अजमत पुत्र नजरुद्दीन निवासी ग्राम गनेशपुर देवी थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद





**5- थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरो को किया गिरफ्तार तथा चोरी गयी 1 LED TV व 1 पतीला, 1 परात, 2 बेले, 1 चमचा, 02 लोटे पीली धातु व 8 प्लेट, 4 बेले सफेद धातु तथा 900 रुपये किये बरामदा**



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स मुरादाबाद के कुशल नेतृत्व में दिनांक 10.08.2024 को उ0नि हरेन्द्र सिंह मय हमराही SIUT आदित्य कुमार व HC प्रवीण व का० वसीम द्वारा दौराने गस्त अभियुक्त 1. रितिक पुत्र महेश निवासी नयागावँ मरु थाना सि०लाईन मु०बाद 2. इमरान S/O असरफ नि० नया गावँ मरु सि०ला मु०बाद को थाना सिविल लाईन्स पर पंजीकृत मु०अ०सं०-663/24 धारा 331(4)/ 305(4)/117(2) BNS से सम्बन्धित चोरी की गयी 1 LED TV SKATERCAT कंपनी व 1 पतीला पीली धातु व 1 परात, 2 बेले, 1 चमचा, 02 लोटे पीली धातु 8 प्लेट व 4 बेले सफेद धातु तथा 900 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

**पूछताछ अभियुक्तगण:-** पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त गण से सख्ती से पूछताछ करने पर अभियुक्त गण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हमने दिनांक 07/8.08.2024 की रात चौकी क्षेत्र हरथला के नया गांव मरु मे आशीष के बन्द मकान मे दरवाजे के ऊपर से घुसकर उसके घर से एक एल०ई०डी० कुछ पीतल व स्टील के बर्तन तथा घर मे रखे तीन हजार रुपये चोरी कर लिये थे । अभियुक्त गण ने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों से चोरी किया गया माल बेचकर मिले रुपये व नकद चोरी किये रुपयों को आपस में बाटकर कुछ रुपये अपने शौक व खर्चों में खर्च कर लिये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त गण:-**

1. रितिक पुत्र महेश निवासी नयाँ गांव मरु थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
2. इमरान पुत्र अशरफ निवासी नयाँ गांव मरु थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद

### बरामदगी अभियुक्त गण:-

1. 1 LED TV SKATERCAT कंपनी
2. 1 पतीला पीली धातु
3. 1 परात पीली धातु
4. 2 बेले पीली धातु
5. 1 चमचा पीली धातु
6. 02 लोटे पीली धातु
7. 8 प्लेट सफेद धातु
8. 4 बेले सफेद धातु
9. 900 रुपये नगद

### अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

➤ रितिक पुत्र महेश निवासी नयाँ गांव मऊ थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

1. मु0अ0स0- 663/24 धारा 331(4)/ 305(4)/117(2) BNS थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

➤ इमरान पुत्र अशरफ निवासी नयाँ गांव मऊ थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद उम्र 19 वर्ष

1. मु0अ0स0- 663/24 धारा 331(4)/ 305(4)/117(2) BNS थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

नोट:- अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सकसैना थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
2. उ0नि श्री हरेन्द्र सिंह थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
3. उ0नि0 (यू0टी0) आदित्य कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
4. हे0का0 प्रवीण थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।
5. का० वसीम थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ।

